le: Regarding Money Invested in Sahara Credit Co-operative Society and its payment.

श्री छेदी पासवान (सासाराम): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ ।

महोदय, इसका विषय सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा जमाकर्ताओं के पैसे का भुगतान शीघ्र कराने के संबंध है । मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सहारा इंडिया को संचालित करने के लिए केन्द्र सरकार के वित मंत्रालय द्वारा वर्ष 1978 में लाइसेंस मिला था । सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी सहित अन्य सोसायटीज़ की ओर से मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम सहित देश भर में अपने एजेंट रखकर स्कीम के नाम पर पैसे जमा कराते थे । इसके बदले में मियाद पूरी होने के बाद ब्याज सहित रकम को वापस लौटाने का वादा किया जाता था । आम जनता को स्कीम से जोड़ने के लिए इन सोसायटीज़ ने ऐसी स्कीम रखीं, जिसमें गरीब लोग भी अपनी बचत के पैसे जमा कर सकते थे, जैसे प्रतिदिन 10 रुपये जमा कराने आदि । उनके स्कीम में दुकानदार, ठेलेवाले, सब्जीवाले, ऑटो चलाने वाले तथा भोले-भाले किसान आदि को टारगेट किया जता था । सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा आम लोगों को अधिक ब्याज और बचत का लाभ देकर उनसे निवेश करवाया जाता था । सहारा इंडिया द्वारा लूटे गए निवेशकर्ता आज भुखमरी की कगार पर हैं । गरीबों का सारा सपना टूट गया । उन्होंने अपनी बेटी की शादी एवं बच्चों की पढ़ाई का सपना मन में रखा था । अतः सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि सहारा इंडिया में लोगों द्वारा जमा की गई राशि की भुगतान शीघ्र कराने की कृपा की जाए ।